26 जुलाई, 2016 को विज्ञान भवन एनेक्स, नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति के सातवें बैठक की कार्यवृत्त

26 जुलाई, 2016 को विज्ञान भवन एनेक्स, नई दिल्ली में दोपहर के 3:00 बजे श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति की सातवीं बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची संलग्नक-I में प्रदान की गई है।

न.के.अं की परियोजना के मुद्दों पर भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति (उप-समिति – I) के अध्यक्ष ने बैठक के सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने आरंभिक भाषण में, अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में यह बैठक फरवरी, 2016 में आयोजित होनी थी किन्तु कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यह बैठक फरवरी में आयोजित नहीं हो सकी। इसके बाद, श्री के.पी गुप्ता, अधिवीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ और उप-समिति – I के संयोजन से एजेंडा मुद्दे की चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया गया।

मुद्दा संख्या 8.1: 29.09.2015 को नई दिल्ली में आयोजित न.के.अं की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति के छठे बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

उप-समिति – I के सचिव ने बताया कि दिनांकित अक्टूबर 23, 2015 पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को "नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति" (उप-समिति-I) (छठी बैठक) और "सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति" (उप-समिति-II) (सातवीं बैठक) के संयुक्त बैठक की कार्यवृत्त परिचालित की गई थी। उन्होंने उल्लेख किया कि 13 मई, 2016 को आयोजित उप-समिति-II के आठवें बैठक में इस समिति से संबंधित मुद्दों की पुष्टि की गई। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उप-समिति-I के कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी। अतः, उप-समिति-I की छठी बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मुद्दा संख्या 8.2: उप-समिति के द्वितीय बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही

(i) उप-समितियों के पिछले संयुक्त बैठक में यह तय किया गया था कि उप -समिति के सभी सदस्यों को महानदी (बरमूल) – गोदावरी (इंचमपल्ली) लिंक का प्राथमिक अध्ययन परिचालित किया जाना चाहिए।

उप-समिति-II द्वारा इस मुद्दे पर 13.05.2016 को आयोजित उप-समिति-II के आठवें बैठक में चर्चा की जा चुकी है। अतः, इस संबंध में इस उप-समिति द्वारा किसी अतिरिक्त कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

(ii) महानदी-गोदावरी लिंक के लिए जल संतुलन अध्ययन सहित प्रणाली अनुकरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों पर

13.05.2016 को आयोजित उप-समिति-II के आठवें बैठक में चर्चा की जा चुकी है।

(iii) उप-समितियों के पिछले संयुक्त बैठक में यह तय किया गया था कि उप-समितियों की रिपोर्ट तैयारी के लिए एक प्रपत्र तैयार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट तैयारी का प्रपत्र तैयार किया गया है और एजेंडा नोट्स के संलग्नक-8.2.2 में प्रदान किया गया है। बैठक के दौरान रिपोर्ट के मसौदा प्रपत्र पर एक प्रस्तुतीकरण पेश की गई थी। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा प्रपत्र में निश्चित संशोधनों का सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट का संशोधित प्रपत्र संलग्नक-II में है।

उप-समिति-I के अध्यक्ष ने यह इच्छा प्रकट की कि रिपोर्ट के मूल्यांकन और तैयारी के लिए विभिन्न कार्य बिन्दुओं की पहचान की जानी चाहिए और इस उद्देश्य हेतु 3-4 उप-समूह बनाए जा सकते हैं। इस कार्य में सभी वरिष्ठ सलाहकारों, मध्य सलाहकारों, कनिष्ठ सलाहकारों और रा.ज.वि.अ के संबंधी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री ए.डी मोहिले ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट की प्रायोगिक वॉल्यूम/ आकार निश्चित किया जा सकता है ताकि रिपोर्ट के भिन्न मुद्दों की विषय-वस्तु को तदनुसार सीमित किया जा सके।

श्री ए.सी त्यागी ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट में प्रत्येक लिंक के विस्तृत विवरण सहित कार्य योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए।

मुद्दा संख्या 8.3: नदी के जलाशय में जल संतुलन अध्ययन निष्पादित करने के लिए रा.ज.वि.अ के दिशा-निदेशों की समीक्षा

उप-समिति – I के सचिव ने यह बताया कि 8 फरवरी, 2016 को आयोजित विशेष समिति की आठवीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्रणाली अध्ययन के उप-समिति सहित श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार (ज.सं, न.वि और गं.सं.मं) और न.के.अं की परियोजना के कार्यबल के अध्यक्ष नदियों के अंतर्योजन के उद्देश्य हेतु 'अधिशेष जल' के मुद्दे पर विचार करेंगे और न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति को दो महीने के समय के भीतर अपनी संस्तुति प्रदान करेंगे। नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति (उप-समिति-I) (सातवीं बैठक) और सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति (उप-समिति-II) (आठवीं बैठक) के संयुक्त बैठक में इस मुद्दे पर विचार के लिए यह मुद्दा परिचालित किया गया था। यह बैठक 18 फरवरी, 2016 को आयोजित होने के लिए अनुसूचित किन्तु अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यह आयोजित नहीं हो सकी| अतः बाद में 28 अप्रैल, 2016 को आयोजित न.के.अं की परियोजना के कार्यबल की तीसरी बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया।

उप-समिति-I के सचिव ने उल्लेख किया कि न.के.अं की परियोजना के कार्यबल की तीसरी बैठक में श्री बी.एन नवलावाला के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के सन्दर्भ में 'अधिशेष जल' के मुद्दे पर विस्तार

पूर्वक चर्चा की गई थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना सरकारों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे। कार्यबल के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रा.ज.वि.अ द्वारा सभी संबंधी राज्य सरकारों को रा.ज.वि.अ के तकनीकी सलाहकारी समिति (त.स.स) के मौजूदा दिशा-निदेश परिचालित किए जाएंगे और उसके बाद राज्य सरकारों से प्राप्त उनके दृष्टिकोण के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अध्यक्षता में मौजूद रा.ज.वि.अ की त.स.स द्वारा दिशा-निदेशों पर विचार और समीक्षा किया जाएगा और उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

इसके अलावा, उप-समिति-I के सचिव ने बताया कि कार्य बल के तृतीय बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार सभी संबंधी राज्यों को नदी के जलाशय में जल संतुलन अध्ययन निष्पादित करने के लिए रा.ज.वि.अ के त.स.स. के मौजूदा दिशा-निदेश भेजे गए थे ताकि उन पर टिप्पणी किया जा सके या उनकी राय प्रस्तुत की जा सके और उसके बाद, 23 मई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित 42 वें बैठक में रा.ज.वि.अ के त.स.स. ने सभी सदस्य राज्यों के टिप्पणियों/ राय पर विचार किया। त.स.स के बैठक में दिशा-निदेशों में शामिल अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों के लिए 'अधिशेष जल' और 'स्वीकार्य उत्थापन' के मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। चर्चा के आधार पर, रा.ज.वि.अ के त.स.स द्वारा विकसित पूर्व दिशा-निदेशों को उचित रूप से संशोधित किया गया है। इन संशोधित दिशा-निदेशों के आधार पर, प्राथमिक जल संतुलन अध्ययन के तैयारी हेतु आवश्यक दिशा-निदेशों को भी संशोधित किया गया है।

उप-समिति-I के सचिव ने यह भी कहा कि 15 जून, 2016 को आयोजित कार्यबल के चौथे बैठक में उनके समक्ष समीक्षित दिशा-निदेश पेश किए गए। कार्यबल ने नदी के जलाशय/ उप-जलाशय में जल संतुलन के गणना के लिए रा.ज.वि.अ के त.स.स के इन दिशा-निदेशों पर विचार किया और इनका अंतिम निर्णय लिया। निर्णय अनुसार, दिनांकित 12 जुलाई, 2016 के पत्र के माध्यम से रा.ज.वि.अ के त.स.स के सभी सदस्यों और संबंधी राज्यों को कार्यबल द्वारा निश्चित दिशा-निदेश परिचालित किया गया और यह निर्देश दिया गया कि यह संचार मिलने की तिथि से एक महीने के भीतर उनकी सहमति या उनके सरकारों की राय सूचित किया जाना होगा जिसमे असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि उनकी सरकार इससे सहमत है। उसेक बाद, नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति के अनुमोदन हेतु उनके समक्ष ये दिशा-निदेश पेश किए जाएंगे।

26 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में 11:30 घंटों पर आयोजित न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति (न.के.अं.प.वि.स) के दसवें बैठक में तेलंगाना सरकार के सलाहकार द्वारा किसी जलाशय के 'अधिशेष जल' के बारे में व्यक्त दृष्टिकोण का सन्दर्भ दिया। तेलंगाना सरकार के सलाहकार ने सुझाव दिया कि जिन मामलों में जलाशयों के लिए 'अधिशेष जल' के मुद्दों पर न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया है और जिन मामलों में न्यायाधिकरण ने फैसला नहीं सुनाया है, इन दोनों मुद्दों को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अध्यक्ष, उप-समिति-I ने कहा कि इस सुझाव में कोई तर्क है और इसका परीक्षण करने की जरूरत है। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सुझाव दिया कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है।

यह निर्णय लिया गया कि कार्यबल के अगली बैठक इस मुद्दे पर अतिरिक्त विचार किया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 8.4: अंत: राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की रिपोर्ट

उप-समिति-I के सचिव ने कहा कि जल संसाधन, न.वि और गं.सं मंत्रालय के दिनांकित 12.03.2015 पत्र के माध्यम से श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ के अध्यक्षता के अंतर्गत अंत: राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर एक समूह संस्थापित की गई थी, जो लिंकों को परिभाषित करने के साथ-साथ अंत: राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजना से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों की समीक्षा करेगी और इन लिंकों के वित्त पोषण के विषय में विचार करेगी और सुझाव देगी।

तदनुसार, समूह ने अंतः राज्य नदियों के लिंक/ अंतः राज्य लिंकों के विवरणों को पढ़ा और दिनांकित 28.5.2015 के पत्र के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट जमा की।

श्री ए.डी मोहिले, उपरोक्त समूह के अध्यक्ष ने बैठक में इस रिपोर्ट की पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण पेश की। इस प्रस्तुतीकरण में भारत में जल संसाधन विकास, अंतः राज्य लिंकों में सम्मिलित मुद्दे, परियोजनाओं के मंजूरी की प्रक्रिया, नदियों के अंतर्योजन के लिए फ़ास्ट ट्रैक प्रक्रिया इत्यादि शामिल थे। उन्होंने अंतः राज्य लिंकों को परिभाषित करते समूह की संस्तुतियां, जब राज्य सरकार रा.ज.वि.अ द्वारा अंतः राज्य लिंकों के अन्वेषण का प्रस्ताव देंगे तब पालन किए जाने वाले चरणों और इसका कार्यान्वयन, अंतः राज्य लिंकों के अन्वेषण और कार्यान्वयन के लिए उनका वित्त पोषण, अंतः राज्य लिंकों के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक पहलू इत्यादि भी प्रस्तुत किया। समूह के महत्वपूर्ण सुझाव संलग्नक-III में है।

उप-समिति-I के अध्यक्ष ने श्री मोहिले के अध्यक्षता के तहत गठित समूह द्वारा किए गए प्रयासों और मूल्यवान सुझावों की सराहना की।

यह निर्णय लिया गया कि समूह के सुझावों पर विधिवत विचार-विमर्श और इस पर अगली कार्यवाही के लिए यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

उप-समिति-I के सचिव ने सूचित किया कि अंतःराज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की वि.प.रि तैयारी के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों के वित्त पोषण के संबंध में दिसंबर 2015 में ज.सं, न.वि और गं.सं.मं द्वारा एक नीति निर्णय लिया गया था, जो निम्न अनुसार था:

> *"रा.ज.वि.अ को सामान्य रूप से अंतर राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के वि.प.रि तक सीमित रहना चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार उन्हें अंतः राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजना का कार्यभार सौंपता है, तो उस मामले में वे केवल सलाह दे सकते हैं। अंतः राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं का वि.प.रि तैयार करने के लिए भारत सरकार के निधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।"*

उप-समिति ने मंत्रालय के उपरोक्त फैसले पर गौर किया।

मुद्दा संख्या 8.5: इंचमपल्ली के प्रस्तावित बाँध स्थल पर गोदावरी जलाशय का जल संतुलन अध्ययन

उप-समिति-I के सचिव ने सूचित किया कि 13.05.2016 को उप-समिति-II के आयोजित आठवें बैठक में उप-समिति-II ने इस एजेंडा मुद्दे पर चर्चा कर ली है।

मुद्दा संख्या 8.6: उप-समिति का विस्तारण – अन्य विभागों/ मंत्रालयों से प्रतिनिधियों का समावेशन

उप-समिति-I के सचिव ने बताया कि 11 मार्च, 2015 को आयोजित उप-समिति के द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व.ज.प.मं); कृषि मंत्रालय; जनजाति मंत्रालय (ज.मं); वित्त मंत्रालय (वि.मं); केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा); केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और नीति आयोग से अपने प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया था। कृ.मं, के.वि.प्रा, के.ज.आ और नीति आयोग से उत्तर मिल गया था। वित्त मंत्रालय ने पहले श्री ऋषिकेश सिंह, निदेशक (एमआई) को नामांकित किया था। हालाँकि, दिनांकित 13 अप्रैल, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वि.मं ने सूचित किया कि क्योंकि उप-समिति की भूमिका अति तकनीकी प्रकृति की है, अतः उप-समिति में वित्त

मंत्रालय से प्रतिनिधित्व की आवश्यक नहीं हो सकता है। हालांकि, नियमित अनुनय के बाद भी प.व.ज.प.मं के तरफ से नामांकन मिलना बाकी है।

यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व.ज.प.मं) को उप-समिति में अपने प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए उनसे दुबारा अनुनय किया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 8.7: विशेष समिति/ उप-समितियों/ कार्यबल के कार्यों के निष्पादन हेतु सलाहकारों की नियुक्ति

उप-समिति-I के सचिव ने बताया कि न.के.अं की परियोजना की विशेष समिति और इसके भिन्न उप-समितियों/ कार्यबल के कार्यों के लिए 12 सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 6, मध्य स्तर पर 4 और कनिष्ठ स्तर पर 2) को नियुक्त करने की अनुमति पर ज.सं, न.वि और गं.सं.मं द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इसके अनुपालन स्वरूप, अगस्त, 2015 के दौरान 7 सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 6 और कनिष्ठ स्तर पर 1) को चुना गया। उनमे से छह सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर पाँच और कनिष्ठ स्तर पर एक) ने अपना पद संभाल लिया। रा.ज.वि.अ ने अक्टूबर, 2015 के दौरान बाकी के छह सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 1, मध्य स्तर पर 4 और कनिष्ठ स्तर पर 1) को नियुक्त करने का प्रचार किया था और पाँच सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 1, मध्य स्तर पर 3 और कनिष्ठ स्तर पर 1) को चुना गया। उनमे से, मध्य स्तर के दो सलाहकारों और कनिष्ठ स्तर के एक सलाहकार ने अपना पद संभाला है।

उप-समिति ने उपरोक्त जानकारी को नोट किया।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

*****

संलग्नक I

26 जुलाई, 2016 को विज्ञान भवन एनेक्स, नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति (उप-समिति-I) के सातवें बैठक के सदस्यों और सहभागियों की सूची

1	श्री बी.एन नवलावाला	अध्यक्ष

	मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय एवं अध्यक्ष, न.के.अं की परियोजना का कार्यबल	
2	श्री ए.डी मोहिले पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ सदस्य, न.के.अं की परियोजना का कार्यबल	सदस्य
3	श्री ए.डी भारद्वाज, पूर्व सदस्य, के.ज.आ	सदस्य
4	प्रोफ़ेसर एस. इकबाल हसनैन, पूर्व प्रोफ़ेसर, पर्यावरणीय विज्ञान, ज.रा.वि	सदस्य
5	प्रोफ़ेसर समर के दत्ता, सेवा-निवृत्त प्रोफ़ेसर, कृषि प्रबंधन केंद्र, आईआईएम, अहमदाबाद	सदस्य
6	श्री ए.सी त्यागी महासचिव, अं.सिं.ज.आ, नई दिल्ली	सदस्य
7	श्री के.पी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	सचिव
	विशेष अतिथिगण	
8	श्री श्रीराम वेदिरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं.मं, नई दिल्ली	
9	श्री भजन लाल, सहायक आयुक्त (प्रा.सं.प्र), कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	
10	श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (ज.यो.प्र.सं), के.ज.आ, नई दिल्ली	
11	श्री विनय कुमार, मुख्य अभियंता (जल विज्ञान), के.ज.आ, नई दिल्ली	
	रा.ज.वि.अ के अधिकारी	
12	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
13	श्री आर.के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली	

14	श्री एम.के श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद	
15	श्री एच.एन दीक्षित, मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ	
16	श्री एन.सी.जैन, निदेशक (तक), नई दिल्ली	
17	श्री एम.एस अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
18	श्री के.पी सिंह, वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
19	श्री एम.के सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	

संलग्नक II

न.के.अं. की परियोजना के मुद्दे पर उपलब्ध भिन्न अध्ययन/ रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति के रिपोर्ट का प्रपत्र

1.0 परिचय

1.1 परिचय

1.2 दिनांकित 27.02.2012 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1.3 समिति की रचना एवं इसकी विचारणीय विषय

1.4 सयोजित सदस्य/ मंत्रालय इत्यादि से विशेष अतिथिगण

1.5 आयोजित बैठकों की संख्या आयोजन तिथि सहित

1.6 उप-समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए विचाराधीन नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट/ दस्तावेज़

1.7 उप-समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंड/ प्राचाल

2.0 नदियों नदियों के अंतर्योजन (न.के.अं) की परियोजना के कार्यबल और इसके उप-समूहों/ समितियों की रिपोर्ट्स/ दस्तावेज़

2.1 नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के संबंध में कार्यबल द्वारा स्थापित विशेषज्ञों के स्वतंत्र समूह की रिपोर्ट

नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के संबंध में कार्यबल द्वारा स्थापित विशेषज्ञों के स्वतंत्र समूह के संस्तुतियों सहित रिपोर्ट का विस्तृत विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.2 नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा निर्मित नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विचारणीय विषय

नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा निर्मित नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विचारणीय विषय यहाँ उल्लिखित किए जा सकते हैं।

2.3 आई.आई.एम अहमदाबाद के माध्यम से नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा तैयार किए गए न.के.अं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत कार्य-तंत्रों पर रिपोर्ट

आई.आई.एम अहमदाबाद के माध्यम से नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा तैयार किए गए न.के.अं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत कार्य-तंत्रों पर विस्तृत रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.4 राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा तैयार किए गए न.के.अं के कार्यक्रम का आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा तैयार किए गए न.के.अं के कार्यक्रम के आर्थिक प्रभाव का विस्तृत रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.5 नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना-I और कार्य योजना-II

2.5.1 नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल के कार्य योजना-I का विस्तृत विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.5.2 नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के कार्यबल के कार्य योजना-II का विस्तृत विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.0 नदियों के अंतर्योजन की परियोजना से संबंधित अन्य रिपोर्ट्स/ दस्तावेज़

3.1 जल संसाधन के लिए संसद के स्थायी समिति की रिपोर्ट

जल संसाधन के लिए संसद के स्थायी समिति की विस्तृत रिपोर्ट और उनकी संस्तुतियां यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है।

3.2 माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ-पत्र/ प्रति शपथ-पत्र

नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम की समादेश याचिका पर सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर शपथ-पत्रों/ प्रति शपथ-पत्रों के रूप में स्थिति रिपोर्ट और उनकी समीक्षा यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है। प्रायद्वीपीय नदी अवयवों और हिमालयी नदी अवयवों और/या राज्यों के लिए यह अलग-अलग प्रदान किया जा सकता है।

4.0 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल अंतरण प्रस्तावों के संबंध में रा.ज.वि.अ द्वारा तैयार किया गया विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

4.1 केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I

4.1.1 परियोजना का सार

4.1.2 केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अंतर-राज्य सहमति

4.1.3 केन नदी के जल को बेतवा नदी में दिक्परिवार्तित करने के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण और पूर्वसम्भावित, पूर्वसम्भावित और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

4.1.4 विभिन्न वैधानिक मंजूरियों की स्थिति

4.1.4.1 तकनीकी-आर्थिक मंजूरी

4.1.4.2 पर्यावरणीय मंजूरी

4.1.4.3 वन्यजीवन मंजूरी

4.1.4.4 वन भूमि पथांतरण मंजूरी

4.1.5 उप-समिति द्वारा मूल्यांकन

4.1.6 परियोजना का कार्यान्वयन

4.2 केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II

इस भाग में चरण-II के लिए प्रयोज्य समान विवरण शामिल किया जा सकता है।

4.3 दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

4.3.1 परियोजना का सार

4.3.2 दमनगंगा नदी के जल को पिंजल नदी में दिक्परिवार्तित करने के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण और पूर्वसम्भावित, पूर्वसम्भावित और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

4.3.3 दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना पर अंतर-राज्य सहमति (प्रस्तावित)

4.3.4 लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उप-समिति का सुझाव

4.4 पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

इस भाग में दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के समान पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के लिए प्रयोज्य जानकारियाँ शामिल की जा सकती है।

5.0 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल अंतरण प्रस्तावों के संबंध में रा.ज.वि.अ द्वारा तैयार किया गया पूर्वसम्भावित रिपोर्ट

5.1 महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक

5.1.1 परियोजना का सार

5.1.2 महानदी (मणिभद्रा पर) के जल को गोदावरी नदी (दौलेश्वरम पर) में दिक्परिवार्तित करने के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण

5.1.3 पूर्वसम्भावित, पूर्वसम्भावित रिपोर्ट का विस्तृत विवरण

5.1.4 उप-समिति द्वारा मूल्यांकन

5.1.5 लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उप-समिति का सुझाव

5.2 गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक

5.3 गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक

5.4 गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिछिन्तला) लिंक

5.5 कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला) लिंक

5.6 कृष्णा (श्रीसेलम) – पेन्नार लिंक

5.7 कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार लिंक

5.8 पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक

5.9 कावेरी (कट्टलाई) – वैगई – गुंडार लिंक

5.10 पार्बती – कालीसिंध – चंबल लिंक

5.11 पम्बा – अच्चेनकोविल - वैप्पार लिंक

(भाग 5.2 से 5.11 को भाग 5.1 के प्रारूप में वर्णित किया जा सकता है।)

6.0 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल अंतरण प्रस्तावों के संबंध में रा.ज.वि.अ द्वारा तैयार किया गया पूर्वसम्भावित रिपोर्ट

प्रायद्वीपीय घटक

6.1 बेदती – वरदा लिंक

6.1.1 परियोजना का सार

6.1.2 बेदती नदी के जल को वरदा नदी में दिक्परिवार्तित करने के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण

6.1.3 पूर्वसम्भावित रिपोर्ट का विवरण

6.1.4 उप-समिति द्वारा मूल्यांकन

6.1.5 लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उप-समिति का सुझाव

6.2 नेत्रावती – हेमावती लिंक

हिमालयी घटक

6.3 मानस – संकोष – तिस्ता – गंगा (मा-सं-ति-गं) लिंक

6.4 जोगिघोपा – तिस्ता – फरक्का लिंक (मा-सं-ति-गं लिंक का विकल्प)

6.5 गंगा – दामोदर – सुबर्णरेखा लिंक

6.6 फरक्का – सुंदरबन लिंक

6.7 सुबर्णरेखा – महानदी लिंक

6.8 कोसी – मेची लिंक

6.9 कोसी – घाघरा लिंक

6.10 गंडक – गंगा लिंक

6.11 घाघरा – यमुना लिंक

6.12 सारदा – यमुना लिंक

6.13 यमुना – राजस्थान लिंक

6.14 राजस्थान – साबरमती लिंक

6.15 सोन बाँध – गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों की लिंक

6.16 चुनार – सोन बाँध लिंक

(भाग 6.2 से 6.16 को भाग 6.1 के प्रारूप में वर्णित किया जा सकता है।)

7.0 सुझाव और संस्तुतियाँ

विचारणीय विषयों के अर्थों में उप-समिति के सुझाव एवं संस्तुतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा सकती है।

संलग्नक – III

अंत:राज्यीय नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की समूह श्री ए.डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ के अध्यक्ष के अंतर्गत

(ज.सं,न.वि और गं.सं.मं के का.ज्ञा सं.2/11/2012/-बीएम(भाग-iv)/392-402 दिनांकित 12.03.2015 द्वारा संस्थापित)

महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

1. पृष्ठभूमि

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा संस्थापित समूह ने मंत्रालय को अपनी संस्तुति पेश कर दी है। समूह की संस्तुतियों का संक्षेपण निम्नलिखित है।

2. न.के.अं की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अंत: राज्य नदियों के लिंकों का समावेशन

यह तय करने के लिए कि कोई परियोजना या योजना अंत: राज्य नदियों की लिंक की प्रकृति की है या नहीं, निम्न मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है:

(i) एक नदी से दूसरी नदी तक या दूसरी नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में जल अंतरण करता है। समोच्च और कटक नहरों की एक सरल प्रणाली जिसके ज़रिए एक नदी का जल अनुप्रवाह के दिशा में इस नदी से मिलती उसकी सहायक नदियों या धाराओं में अंतरित होता हो, तो उसे नदियों का लिंक नहीं समझा जाएगा। उसी तरह, यदि किसी परियोजना या योजना में जलाशय के जल का उपयोग निकटवर्ती क्षेत्र में करने की योजना है और जिसका एक बड़ा भाग जलाशय के अंदर ही है और केवल कुछ भाग जलाशय के बाहर है, तो इस परियोजना या योजना को नदी लिंक नहीं समझा जाना चाहिए।

(ii) अंतः राज्य नदियों की लिंक को न.के.अं की परियोजना में शामिल किया जाना होगा, अतः रा.ज.वि.अ द्वारा विचार किए जाने वाले अंतः-राज्य लिंक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुकूल होने चाहिए। रा.प.यो में शामिल किए जाने वाले अंतः-राज्य लिंकों द्वारा जल अंतरणों के आम निर्देशों का खण्डन नहीं होना चाहिए।

न.के.अं की राष्ट्रीय परियोजना के दो घटक होने चाहिए, एक जो रा.प.यो संभाले और दूसरा जो समूह के रिपोर्ट में वर्णित शर्तों और विशेषताओं पर खरा उतरने वाले इस तरह के अंतःराज्य लिंकों को संभाले।

3. न.के.अं की परियोजना में अंतःराज्य लिंकों का वरणात्मक समावेशन

अंतःराज्य लिंकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ लिंक जिनमे न.के.अं के कार्यक्रम की अनिवार्य विशेषता हो और समूह के रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले लिंकों को ऐसे लिंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिन्हें न.के.अं की परियोजना में शामिल किया जा सकता है और अतः जिसे फ़ास्ट ट्रेकिंग और बेहतर वित्त-पोषण जैसे लाभ प्रदान किए जा सकते हैं, ये एक भाग के तहत आएगा और बाकी के लिंक अन्य भाग के तहत आएँगे।

4. राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए दिशा-निदेशों का संशोधन

अंतः-राज्य नदियों के लिंकों के लिए राष्ट्रीय परियोजना दिशा-निदेशों में संशोधन करने की आवश्यकता है। एक राज्य में 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई वाले किसी भी अंतः-राज्य लिंक परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में योग्य ठहराया जाना चाहिए। इसी तरह, 100 मि.घ.मी प्रति वर्ष से अधिक सार्वजनिक जल आपूर्ति घटक वाले किसी भी अंतः-राज्य लिंक परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में योग्य ठहराया जाना चाहिए। सिंचाई और सार्वजनिक जल, दोनों प्रदान करने वाले लिंकों के लिए योग्यता मानक होगा सार्वजनिक जल आपूर्ति के प्रत्येक एक मि.घ.मी प्रति वर्ष के पश्चात 50,000 हेक्टेयर, जो 500 हेक्टेयर सिंचाई के समान है।

5. अंतः-राज्य नदियों के अंतर्योजन के प्रस्तावों की स्वीकार्यता – प्रक्रियात्मक संस्तुतियाँ

प्रस्तावित भौतिक कार्यों के अवस्थिति बिंदु से राज्यों द्वारा प्रस्तावित कई अंतः-राज्य लिंक केवल 'अंतः-राज्य' प्रकृति के हैं, किन्तु इसमें सम्मिलित जलाशय (दाता, आदाता और/या मार्ग) अंतर-राज्य प्रकृति के हो सकते हैं। अतः, इन पर अंतर-राज्य दृष्टिकोण से विचार शामिल होगा। प्रस्तावों की स्वीकृति से पूर्व, इन मुद्दों का समाधान कर लिया जाना चाहिए। हालांकि. इस कार्य में रा.ज.वि.अ सहायता प्रदान कर सकता है पर फिर भी अन्य राज्यों की सहमति प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रस्ताव देने वाले राज्य पर ही होगी।

अंतः-राज्य लिंकों के अन्वेषण और कार्यान्वयन की आम प्रक्रिया सार के रूप में चित्र-। में दर्शाई गई है (इन संस्तुतियों के साथ संलग्न)।

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतः-राज्य नदियों के लिंकों की स्वीकार्यता के लिए पालन किए जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया संलग्नक-ए में प्रस्तुत किया गया है (इन संस्तुतियों सहित संलग्न)।

संलग्नक-ए में दिए गए प्रक्रिया का पालन करने के बाद यदि यह पाया जाता है कि न.के.अं के कार्यक्रम के भाग में परियोजना को शामिल किया जा सकता है, तो समूह उन परियोजनाओं को न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल करने

की सिफारिश करेगा। (i) नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के रूप में इन परियोजनाओं का विचारण, (ii) एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इन परियोजनाओं का विचारण (iii) माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापना अनुसार नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के विशेष समिति के माध्यम से उनकी फ़ास्ट ट्रैक मंजूरी या समान प्रकार के अन्य कार्य-तंत्र। (iv) केंद्र सरकार के कार्यक्रम के ज़रिए इनके कार्यान्वयन जिसमे केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषण किया जाएगा और (v) विशेष उद्देश्य वाहन जैसे एक केन्द्रीय अभिकरण के ज़रिए इनके कार्यान्वयन के संबंध में इन परियोजनाओं के समर्थन पर विचार किया जा सकता है।

6. अंतः-राज्य नदी लिंकों के अन्वेषण और परियोजना तैयारी में रा.ज.वि.अ की भूमिका

आम तौर पर, बड़े अंतः-राज्य लिंकों के लिए जिन्हें न.के.अं की परियोजना में शामिल किया जा सकता है, उन लिंकों के लिए मंजूरी प्राप्त करने में रा.ज.वि.अ एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और अतः उनके कार्यान्वयन को सुकर बना सकता है। न.के.अं की परियोजना में शामिल नहीं किए गए अंतः-राज्य लिंकों के संबंध में रा.ज.वि.अ राज्यों को केवल थोड़ी सहायता ही प्रदान कर सकता है।

7. संगठनात्मक व्यवस्थाएं

अपनाए जा सकने वाले कुछ मॉडलों के बारे में समूह के रिपोर्ट में चर्चा की गई है किन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट संस्तुति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि अब तक रा.प.यो लिंकों के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक मॉडल्स भी तय नहीं किए गए हैं।

आम तौर पर, अंतः-राज्य लिंकों के कार्यान्वयन के लिए बनसागर मॉडल अपनाया जा सकता है। इसका भौतिक कार्य निष्पादन राज्य द्वारा हो सकता है। हालांकि, केंद्र द्वारा व्यवस्थित अंतर-राज्य नियंत्रण मंडल द्वारा उच्च स्तरीय अधीक्षण या इसके समान कार्य-तंत्र की आवश्यकता हो सकती है, जिसमे अन्य संबंधी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया हो।

यदि राज्य सरकार द्वारा कोई परियोजना नदियों के अंतर्योजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम से अलग निष्पादित किया जाना होता है, तो केंद्र सरकार के सभी निकायों से अंतः-राज्य लिंक परियोजना (जिसमे अंतर-राज्य पहलू और आर्थिक पूर्वसम्भावित, पर्यावरणीय स्थिरता इत्यादि शामिल हो सकता है) के वि.प.रि के लिए प्रयोज्य हो सकने वाले वैधानिक मंजूरी सहित सभी प्रकार की मंजूरी प्राप्त करने का दायित्व राज्य पर होगा।

यदि परियोजना को नदियों के अंतर्योजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जाना है, तो पहले केंद्र सरकार या रा.ज.वि.अ को जाँच पड़ सकता है कि क्या यह लिंक इस योग्य है या नहीं। यदि यह योग्य पाया जाता है, विशेष उद्देश्य वाहन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा इस परियोजना का स्वामित्व अपने हाथों में लिया जा सकता है और उसके बाद उस स्वामी द्वारा मंजूरी प्राप्त की जानी होगी (कुछ मामलों में, जहाँ पर न.के.अं के कार्यक्रम में किसी लिंक के समावेशन पर सहमति जताई गई है किन्तु विशेष प्रशासनिक व्यवस्था तय नहीं हुआ है, तो इस परिवर्तनकाल के दौरान रा.ज.वि.अ सहित संबंधी राज्यों को अतिरिक्त मंजूरी प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है)।

8. अंतः-राज्य नदी के लिंकों के लिए वित्त-पोषण

8.1 सामान्य

यदि अंतः-राज्य लिंकों की योजना को जल उपयोग में निष्पक्षता स्थापित करने और राष्ट्रीय अखंडता के मानदंडों को पूरा करने के लिए बनाया गया है और यह काफी बड़ा है, तो राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर इन्हें न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

8.2 अन्वेषणों और रिपोर्ट की तैयारी के लिए वित्त-पोषण

न.के.अं के कार्यक्रम के दो भाग होंगे। भाग I में रा.प.यो के नदी लिंक होंगे और भाग II में ऐसे अंतः-राज्य नदी के लिंक होंगे, जिन्हें न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल हो जाने वाले अंतः-राज्य नदी लिंकों के संबंध में यह मायने नहीं रखेगा कि वि.प.रि किसने तैयार की है, राज्य ने या रा.ज.वि.अ ने। अंतः-राज्य नदी लिंकों के अन्वेषण की प्रक्रिया उनका कार्यान्वयन अलग-अलग किया जाना आवश्यक होगा।

राज्यों के पास अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के मामले में उन्हें स्वयं और अपने निधि के उपयोग से अंतः-राज्य नदी के लिंकों के लिए सामान्य रूप से अन्वेषण करवाना होगा और पू.व्य.रि/ व्य.रि/ वि.प.रि तैयार करवाना होगा। ये परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय, यदि उन्होंने जल उपयोग में निष्पक्षता की आवश्यकता को पूरा करते हुए इसके पृथक योजना दर्शन के नज़रिए से या परियोजना के आकार के कारण इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था स्वयं न कर पाने के कारण इस परियोजना के लिए विशेष लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई है, तो वे उपरोक्त सुझावित मानदंडों के अनुसार यह तैयार कर सकते हैं ताकि इन्हें न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल किया जा सके।

अन्वेषण और रिपोर्ट की तैयारी में रा.ज.वि.अ की सहभागिता केवल ऐसे प्रस्तावों तक हीं सीमित होनी चाहिए जहाँ पर राज्य यह घोषणा करता है कि कर्मचारियों की कमी इत्यादि के कारण वह योजना तैयार करने में सक्षम नहीं है। यदि इस दावे को स्वीकार किया जाता है और यदि रा.ज.वि.अ के पास अतिरिक्त कार्य-क्षमता है तो इस कार्य की जिम्मेदारी ले सकता है। यदि रा.ज.वि.अ कार्य की जिम्मेदारी लेता है, तो न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक अनुवर्ती योजना के रूप में राज्य सरकार से निरंतर सलाह प्राप्त कर रा.ज.वि.अ स्वयं से योजना तैयार करेगा। इसकी लागत रा.ज.वि.अ द्वारा वहन किया जाएगा।

8.3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त-पोषण

यदि यह पाया जाता है कि कोई लिंक न.के.अं के कार्यक्रम (इसमें यह जाँच प्रक्रिया शामिल होगी कि क्या यह नदी लिंक के रूप में योग्य है या नहीं, क्या जल अंतरण की दिशा रा.प.यो के अनुसार है, क्या यह रा.प.यो के लिंक का खंडन करता है या इसे नकारता है और उसके बाद क्या यह निष्पक्षता, सिंचाई और आकार मानदंडों को पूरा करता है या नहीं) में शामिल किए जाने के लिए सभी शर्तों पर खरा उतरा है और इसका प्रस्ताव देने वाला राज्य और साथ हीं अन्य संबंधी राज्य इससे सहमत हैं, तो न.के.अं के कार्यक्रम के भाग II में इस लिंक को शामिल किया जा सकता है और न.के.अं के कार्यक्रम की प्रक्रिया के अनुसार फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया और बड़ी मात्रा में केन्द्रीय निधि की उपलब्धता के उपयोग से न.के.अं के कार्यक्रम के भाग के रूप में इसका कार्यान्वयन किया जा सकता है।

छवि-1

अंतः-राज्य लिंक

अन्वेषण एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया

राज्य एक लिंक प्रस्तावित करता है

राज्यों को निर्णय लेना होगा कि क्या वह न.के.अं के कार्यक्रम के ज़रिए कार्यान्वयन करना चाहते हैं या नहीं

हाँ

नहीं

राज्यों को अपने लागत पर अन्वेषण करवाना होगा

रा.ज.वि.अ वि.प.रि चरण तक राज्य के सलाह से योजना तैयार करेगा जो कथित मानदंडों पर खरा उतरे

हालांकि, यदि राज्य और रा.ज.वि.अ दोनों सहमत होते हैं, तो राज्य के अभिकरण के रूप में राज्य के लगत पर रा.ज.वि.अ अन्वेषण करेगा और वि.प.रि तैयार करेगा

राज्यों द्वारा अनुमोदन। अंतर-राज्य पहलुओं का समाधान

ज.सं.वि के सामान्य परियोजना ड्रिल के रूप में राज्यों द्वारा कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा जाँच। मूल्यांकन और राष्ट्रीय परियोजनाओं में समावेशन

स्थापित किए जाने वाले विशेष प्रशासनिक मशीनरी/अभिकरण को परियोजना का हस्तांतरण

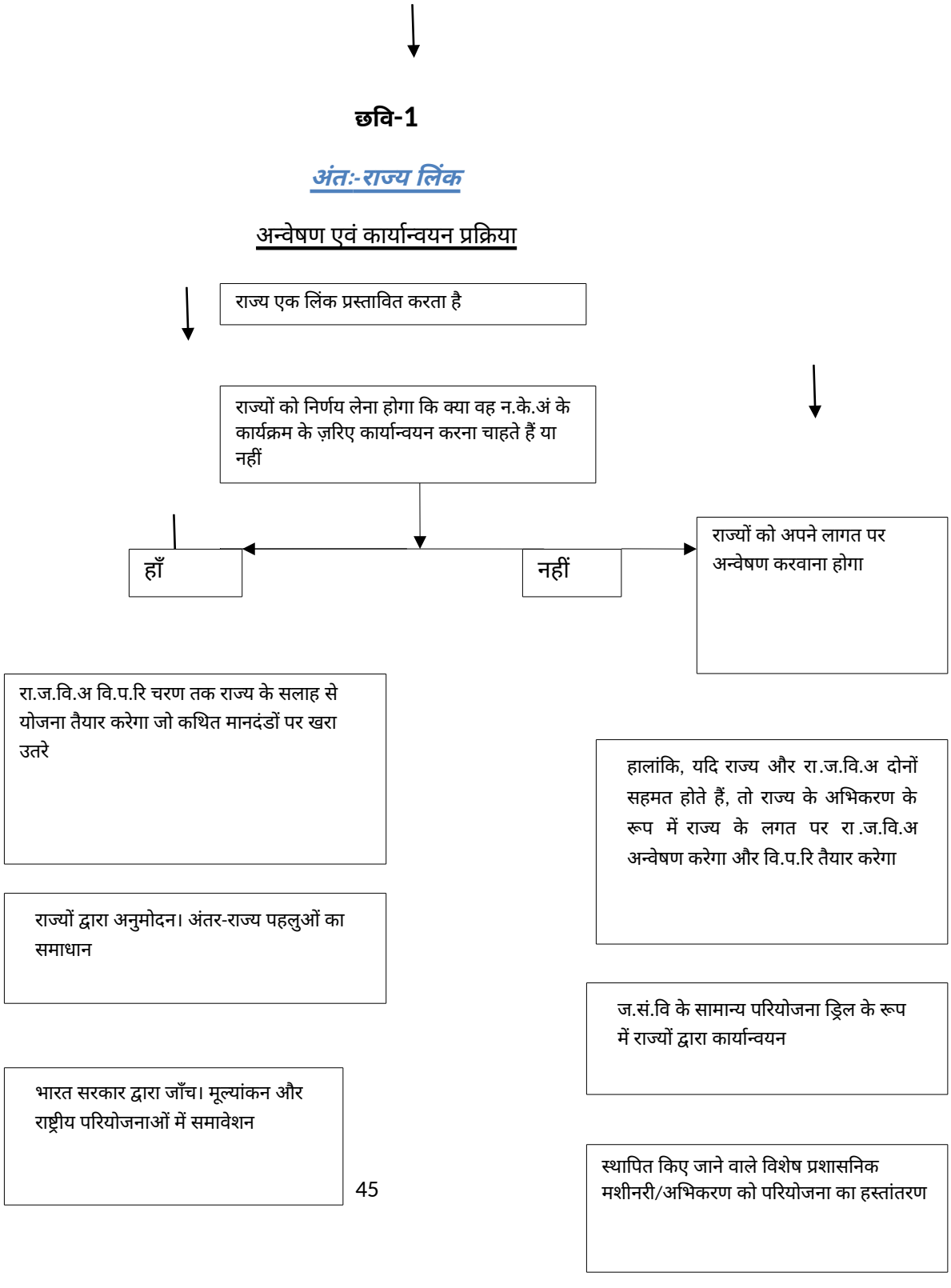

अभिकरण द्वारा वैधानिक एवं अन्य मंजूरी की प्राप्ति में सहायता

अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन

संलग्नक-ए

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतः-राज्य नदी लिंकों की स्वीकार्यता के लिए पालन किया जाने वाला विस्तृत प्रक्रिया

समूह के राय में आम जल विकास परियोजनाएं स्थानीय अभाव वाले क्षेत्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए जैसे कि विस्तृत शहरीकरण वाले क्षेत्र या स्थानीय सूखे क्षेत्र। इन परियोजनाओं को अंतः-राज्य न.के.अं की परियोजना नहीं समझा जा सकता है।

जैसा कि पहले भी बताया गया है, नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रमों (न.के.अं का कार्यक्रम) की योजना अत्यंत विशेष है क्योंकि यह जल उपयोग में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, गैर सह-जलाशय वाले राज्यों को जल उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देता है और इसमें ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं, जो राज्यों के जल संसाधन विकास (ज.सं.वि) के आम परियोजनाओं से काफी बड़ी है। भारत सरकार ने न.के.अं की परियोजना को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं के फ़ास्ट ट्रैक मंजूरी के लिए विशेष वितरण भी प्रदान किया है।

हालांकि, पहले यह समझा जाता था कि न.के.अं की परियोजना में रा.ज.वि.अ द्वारा अन्वेषण किए जा रहे केवल रा.प.यो परियोजनाएं शामिल हैं, किन्तु अब अंतः-राज्य नदी के लिंकों पर भी विचार किया जा रहा है। कई अंतः-राज्य नदी लिंक तीन विशेषताओं में से कम से कम दो विशेषता पूरी कर सकते हैं। ये अंतः-राज्य नदी लिंक राज्य के जल परिपूर्ण या जल अभाव वाले क्षेत्रों से कम जल परिपूर्ण या जल की अधिक अभाव वाले क्षेत्रों में जल अंतरण कर निष्पक्षता को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि, इन नदी लिंकों से गैर सह-जलाशय राज्यों को जल अंतरित कर राष्ट्रीय अखंडता स्थापित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, योजना की अन्य विशेषताओं के उपस्थिति में इन नदी लिंकों का प्रोत्साहन राष्ट्रीय हित में होगा।

इस पर विचार करते हुए समूह सलाह देती है कि राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतः-राज्य नदी लिंक निम्न प्रक्रिया से गुजरना चाहिए:

(क) अंतः-राज्य लिंकों के प्राथमिक प्रस्तावों का परीक्षण

1. राज्य सरकार अंतः-राज्य लिंकों की पू.व्य.रि/ व्य.रि तैयारी करती है और रा.ज.वि.अ को भेजती है। पू.व्य.रि या व्य.रि एक विस्तृत दस्तावेज़ होना चाहिए जो स्थलाकृति-पत्रकों के अध्ययन, आवीक्षी अध्ययन पर आधारित होना चाहिए और यदि व्य.रि तैयार किया जा रहा है, तो यह कुछ सर्वेक्षणों पर आधारित होना चाहिए। रिपोर्ट में लिंक, अंतरण के लिए उपलब्ध अधिशेष जल, सिंचित क्षेत्रों में अर्थों में संभावी उपयोग, जल आपूर्ति का परिमाण इत्यादि प्रदर्शित होना चाहिए, अंतर-राज्य मुद्दों पर चर्चा और लिंक के संबंध में इसका निहितार्थ और प्राथमिक आरूपण, लागत और लाभ प्रदर्शित होना चाहिए।

2. निम्न के आधार पर रा.ज.वि.अ के प्राथमिक विश्लेषण आयोजित करती है:
   a) यह तय करती है कि प्रस्तावित अंतः-राज्य नदी लिंक वास्तव में एक लिंक है या कोई सामान्य जल संसाधन विकास परियोजना है। यदि वह एक सामान्य ज.सं.वि परियोजना होता है, तो राज्य को यह सूचना दिया जाना होगा और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से इसे संभालने का अनुरोध किया जाना होगा।

   b) यह जाँच करना होगा कि जल अंतरण की सामान्य दिशा रा.प.यो के परिकल्पित दिशा और समूह के रिपोर्ट के अनुच्छेद 4.1(3) के अनुरूप है या नहीं।

      यदि ऐसा नहीं है, तो प्रस्ताव पर अधिक महत्वता सहित इसकी जाँच करे। यदि किसी लिंक द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले सकल आपूर्ति माँग संतुलन की स्थिति क्षेत्रीय/ जलाशय के स्थिति से अलग है, तो रा.प.यो के अंतरण के प्रति इस अंतरण को स्वीकार किया जाना चाहिए।

   c) यह जाँच करना कि इस अंतरण की योजना रा.प.यो में शामिल किसी अन्य संभव अंतरण के खंडन या विरोध के लिए बनाया गया है। यदि ऐसा है तो, रा.ज.वि.अ या केंद्र सरकारी अभिकरण इस अंतः-राज्य जल अंतरण में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

3. यदि प्राथमिक विश्लेषण असफल रहा है, तो तदनुसार रा.ज.वि.अ राज्यों को सूचित करेगा। यह योजना अस्वीकृत हो जाएगी। इसी तरह, रा.ज.वि.अ के परीक्षण के पश्चात पू.व्य.रि/ व्य.रि यह दर्शाती है कि वह योजना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो उसे अस्वीकृत किया जाएगा।

ख. न.के.अं के कार्यक्रम में समावेशन के निर्णय हेतु रा.ज.वि.अ द्वारा वि.प.रि का परीक्षण

4. यदि विश्लेषण सफल रहा है, तो राज्य को सूचित किया जाएगा कि उनकी योजना अच्छी है इसकी वि.प.रि तैयार की जा सकती है। हालांकि, रा.ज.वि.अ के सहायता से राज्य को अन्य सह-जलाशय राज्यों से सहमति हासिल करना होगा। सहमति मिलने के पश्चात, रा.ज.वि.अ या राज्य वि.प.रि तैयार कर सकती है।

5. वि.प.रि की अतिरिक्त परीक्षण

   यदि प्राथमिक परीक्षण यह दर्शाता है कि यह एक वांछनीय अंतः-राज्य लिंक है, तो जाँच करे कि (i) जल उपयोग में निष्पक्षता का प्रोत्साहन और (ii) बड़े आकार के होने का मानदंड पूरा होता है या नहीं। यदि

विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस अंतः-राज्य लिंक परियोजना की विशेषताओं के कारण यह न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल होने योग्य है, तो संबंधी राज्यों के इच्छा से इसे अन्य रा.प.यो परियोजनाओं सहित न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए विशेष समिति के माध्यम से फ़ास्ट ट्रैक मंजूरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रा.प.यो के परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक निकाय/ निकायों/ संस्थानों का गठन किया जाएगा जो न.के.अं के कार्यक्रम के तहत इन अंतः-राज्य नदी लिंकों के मामले को संभालेगी।

6. यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो राज्य को सूचित करे कि परियोजना को न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता है, किन्तु इस परियोजना स्वयं उनके द्वारा कार्यान्वयन हेतु राज्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह परियोजना योग्य होने पर, त्व.सिं.ला.का द्वारा वित्त-पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है।

7. यह देखने के लिए कि जल अंतरण की दिशा के संबंध में और रा.प.यो के प्रस्तावों को क्षति न पहुँचाने के संबंध में क्या यह रा.प.यो के अनुरूप है और यह देखना कि न.के.अं के कार्यक्रम में समावेशन की योग्यता के लिए इसमें निष्पक्षता, अखंडता और आकार की विशेषता मौजूद है या नहीं, किसी अंतः-राज्य लिंक परियोजना को एक जल संसाधन विकास परियोजना से अलग एक अंतः राज्य लिंक परियोजना के रूप में पहचानने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया विस्तार में ऊपर उल्लिखित और समूह के रिपोर्ट के भाग 4.3 में उल्लिखित की जा चुकी है। इस चरणबद्ध प्रक्रिया को सुविधापरक बनाने के लिए, समूह ने निम्न अतिरिक्त सुझाव दिया है:

   a) यह जाँच करने के लिए कि प्रस्तावित लिंक संबंधी रूप से कम जल अभाव वाले क्षेत्र/ जलाशय से व्यवहार्य वैकल्पिक श्रोत के अभाव वाले संबंधी रूप से अधिक जल अभाव वाले क्षेत्र / जलाशय को जल अंतरण करता है या नहीं, निम्न परीक्षण करें। यदि किसी जल अधिशेष जलाशय से किसी जल अभाव वाले जलाशय में जल अंतरण हो रहा है, तो यह अधिक वांछनीय है। यदि किसी अधिशेष जल वाले जलाशय से किसी ऐसे जलाशय में जल अंतरण हो रहा है, जिसमे जल अधिशेष नहीं है और न ही जल का अभाव है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह, किसी ऐसे जलाशय से किसी अभाव वाले जलाशय में जल अंतरण हो रहा है, जिसमे जल अधिशेष नहीं है और न ही जल का अभाव है, तो यह भी स्वीकार्य है। यदि, रा.ज.वि.अ द्वारा उपयोग किए गए और केवल सिंचाई पर निर्भर करती अधिशेष और अभाव जलाशयों के आधुनिक परिभाषा के अनुसार दोनों जलाशय एक ही वर्ग में आते हैं, तो इस पर अतिरिक्त विचार करने की आवश्यकता होगी। जिस जलाशय में जल अंतरण हो रहा है, यदि दाता जलाशय की तुलना में वह जलाशय की जल आपूर्ति माँग काफी अधिक है, जैसे कि करीबी क्षेत्रों में अधिक नागरिक और औद्योगिक उपयोग की माँग, तो उसे भी स्वीकार किया जा सकता है।

   b) कभी-कभी, पूरे जलाशय में जल अभाव हो सकता है, किन्तु उर्ध्वप्रवाह में कोई छोटी उप-जलाशय में अधिशेष जल हो सकता है। ऐसी छोटी अधिशेष क्षेत्र से राज्य के अन्य जलाशयों में जल अंतरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

c) कभी-कभी, पूरे जलाशय में जल अधिशेष हो सकता है, किन्तु उर्ध्वप्रवाह में कोई छोटी उप-जलाशय में जल अभाव हो सकता है। ऐसे मामले में, अन्य जल परिपूर्ण जलाशयों से अधिशेष जलाशय के अभाव वाले भाग में जल अंतरण को स्वीकार किया जा सकता है।

d) अंतः-राज्य नदी लिंकों पर विचार करते समय, यह जाँचना आवश्यक है कि इस अंतः-राज्य नदी लिंक में सम्मिलित जल अंतरण की सामान्य दिशा समूह के रिपोर्ट के अनुच्छेद 4.1(3) के अनुरूप है या नहीं।

e) समूह ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस दिशा नियम में कुछ स्थानीय अपवाद हो सकते हैं लेकिन रा.प.यो द्वारा सूचित दिशा के अनुरूप न होने वाले अंतरणों को स्वीकार करने से पूर्व इस पर अधिक विस्तार से विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

f) रिपोर्ट के अनुभाग 4.3 में समूह ने पहले से ही यह प्रदर्शित किया है कि यदि अंतः-राज्य नदी लिंक पर्याप्त लंबाई की होती है तो उनके माध्यम से राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जल आपूर्ति होगी। अतः, किसी सीमित हद तक, जल अंतरण की एकीकृत भूमिका पूरी हो जाएगी। इस संबंध में समूह ने सलाह दिया है कि जल उठाने के स्थल से जल उपयोग स्थल तक की कुल दूरी 200 किमी है, तो यह भूमिका पूरी होगी।

g-i) रिपोर्ट के अनुभाग 4.3 के उल्लेखन अनुसार, लिंक का आकार महत्वपूर्ण है। समूह सुझाव देती है कि लिंक का आकार मानदंड (i) लागत द्वारा या (ii) लाभ मात्रा द्वारा हो सकता है। सिंचित क्षेत्र या घरेलू या औद्योगिक जल आपूर्ति से लाभ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, समूह यह सुझाव भी देता है कि यदि लागत या लाभ की मात्रा के अर्थों में कोई अंतः-राज्य लिंक बड़ी होती है, तो उसे बड़ी लिंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और आकार मानदंड के अनुसार न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल करने के योग्य होगा।

g-ii) राष्ट्रीय परियोजना के दिशा-निदेशों की समीक्षा करते समय, समूह ने यह देखा कि लाभ का आंकलन केवल सिंचाई के अर्थों में हीं किया जा रहा है। वर्तमान खाद्य स्वयं-पर्याप्तता और बढ़ते शहरीकरण के पृष्ठभूमि में, सार्वजनिक जल आपूर्ति अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सार्वजनिक जल आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू जल उपयोगों के लिए होगी, जल नीति में जिसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसमें कुछ औद्योगिक आपूर्तियाँ भी शामिल हो सकती है, और अवस्थिति के अनुसार, इनकी भी प्राथमिकता अधिक हो सकती है। अक्सर, निकटवर्ती जल श्रोतों के माध्यम से विकसित महानगर क्षेत्रों की सार्वजनिक जल आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है और अतः नदियों की लिंकिंग अधिक प्रासंगिक हो जाती है। अतः, समूह के नज़रिए में लाभ की मात्रा प्रदर्शित करते मानदंड में सिंचाई और जल आपूर्ति उपयोग दोनों की महत्व होना चाहिए।

g-iii) लागत के अनुसार वर्गीकरण के समय न.के.अं के कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले अंतः राज्य नदी लिंक की मूल पूंजी लागत रु. 1500 करोड़ (2011-12 कीमत स्तर) से अधिक होने की आवश्यकता नहीं है।

g-iv) लाभ की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण के समय, वह लिंक जो 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करे। राष्ट्रीय परियोजनाओं की वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना में 200,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता होनी चाहिए। न.के.अं के कार्यक्रम में अंतः-राज्य नदी लिंकों के समावेशन के लिए एक छोटी लिंक का सुझाव देने के लिए समूह ने इन दिशा-निदेशों पर विचार किया है।

g-v) जल आपूर्ति प्रदान करते लिंकों के आकार के वर्गीकरण के संबंध में, 100 मि.घ.मी प्रति वर्ष से अधिक की वार्षिक जल आपूर्ति (घरेलू और औद्योगिक) वाले योजनाओं को नदियों के अंतर्योजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में समझा जा सकता है। क्योंकि कुछ लिंकों में सिंचाई और जल आपूर्ति घटक दोनों होते हैं, समूह यह सुझाव देता है कि इस मानदंड हेतु 500 हेक्टेयर सिंचाई के समतुल्य प्रत्येक एक मि.घ.मी जल आपूर्ति पर विचार किया जा सकता है।

h) हालांकि, यदि आकार मानदंड को पूरा न करने वाली अंतः-राज्य नदी लिंक परियोजनाँ में राज्यों के मध्य शामिल अंतर-राज्य मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार के प्रभाव से इन लिंक परियोजनाओं पर राज्य सरकार स्वयं कार्यान्वयन कर सकती है। राज्यों द्वारा यह कार्य-निष्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक सभी राज्य इस प्रकार के कार्यान्वयन में सक्षम हैं। वित्त-पोषण के संबंध में भी 14 वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को आम निधि कोष का बड़ा हिस्सा सुपुर्द किए जाने के पश्चात अब राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर हो गई है।